



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-धार

PBR/अपील/धार/आ.अ./2017/2794

मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया,  
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरुद्ध

- (1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- (2) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर (म.प्र.)
- (3) जिला आबकारी अधिकारी जिला धार (म.प्र.)
- (4) जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड सेजवाया जिला - धार (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थागण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा  
पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/3202 में पारित आदेश दिनांक 21.06.  
2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा  
62(2)-सी के अधीन अपील।

वि.म. चव्वाकी द्वारा  
दिनांक आज दि. 29.7.17 को  
संस्त

29/7/17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/धार/आ.अ./2017/2794


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
13/8/18	<p>अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3202 में पारित आदेश दिनांक 22-6-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2014-15 के लिए उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला धार के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़दस्ता इंदौर के पत्र दिनांक 9-10-2015 के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 तक कुल 1095 दिवसों में कांच की बोतलों में न्यूनतम संग्रह नहीं रखे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3202 में दिनांक 22-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए उक्त अवधि में कुल 1095 दिवसों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 2,73,750/- की शास्ति भी अधिरोपित करते हुए कुल रुपये 2,93,750/- की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य</p>	

5) आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा कांच की बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जाता रहा है, किन्तु कांच की बोतलों का प्रदाय फुटकर ठेकेदारों द्वारा नहीं उठाया जाता है, क्योंकि फुटकर ठेकेदार बाजार की मांग के अनुसार प्रदाय उठाते हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के मध्य एक संविदा है, इसी के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा शासकीय मद्यभाण्डागारों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जाता रहा है। संविदा अधिनियम की धारा 73 एवं 74 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति करायी जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर न तो कोई विचार किया गया है और न ही उनका आदेश में उल्लेख किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थागण शासन की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जो कि नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन

किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला धार के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 कुल 1095 दिवसों में कांच की बोतलों में एक दिवस के प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य देशी स्पिरिट नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

  
अध्यक्ष

  
नर